थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर दिनांक 24.09.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक **23.11.2022** को वादी सरवर अली पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त यश पुत्र मुनेन्द्र निवासी कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गयी । प्राप्त तहीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 858/2022 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.09.2026 को **माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, जनपद बिजनौर** द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित **यश उर्फ उमंग उर्फ कट्टा पुत्र मुनेन्द्र निवासी कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर** को आजीवन कारावास व कुल 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

यश उर्फ उमंग उर्फ कट्टा पुत्र मुनेन्द्र निवासी कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर   दिनांक 24.09.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 378/2026 धारा 420/467/468/471 भादवि से संबंधित वाछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2026 को वादी राजकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम धामपुर हुसैनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश 2. निधि पत्नी अश्वनी कुमार निवासीगण ग्राम शेखपुरा भावडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा जमीन विक्रेता ज्योति पत्नी स्व0 गौरव कुमार से वादी द्वारा खरीदी गयी जमीन को धोखाधडी करके फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सम्पत्ति को हड़पने की साजिश की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 378/2026 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24-09-2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग मे वाछिंत अभियुक्ता निधि पत्नी अश्वनी निवासी ग्राम शेखपुरा भावडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी पी0 344 डाकपत्थर ओल्ड यमुना कालोनी विकासनगर देहरादून उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

निधि पत्नी अश्वनी निवासी ग्राम शेखपुरा भावडा थाना धामपुर जिला बिजनौर हाल निवासी पी0 344 डाकपत्थर ओल्ड यमुना कालोनी विकासनगर देहरादून उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.व0उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.है0का0 444 श्यामवीर सिंह थाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.का0 2477 अमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.रि0म0का0 439 निशा देवी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा   दिनाँक 24.09.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 370/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आशीष गौतम पुत्र चरन सिहं निवासी ग्राम अन्यारी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0-370/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम आशीष गौतम पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 64(1)बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

आज दिनांक 24.09.2026 को थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा अभियोग उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त आशीष गौतम पुत्र चरन सिहं निवासी ग्राम अन्यारी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

आशीष गौतम पुत्र चरन सिहं निवासी ग्राम अन्यारी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 श्री उमेशचन्द सिहं थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2.का0 2460 सुदेश राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3.का0 107 अजीत कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 24.09.2026**

थाना को0शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 754/2026 धारा 310(2)/3(5)/317(3)/ 115(2)/351(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.09.2026 को वादी धर्मेन्द्र पुत्र महावीर सिंह नि0 ग्राम वाजिदपुर पोस्ट मोहम्मदपुर देवमल थाना मंडावर जिला बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.08.2026 को अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी के साथ लाठी-डंडो से मारपीट करते हुए उनका मोबाईल फोन सैमसंग ए 34 5 जी, 2200 रु0 नगद व एक प्लेटिना बाईक जबरदस्ती छीन ली गयी तथा वादी के फोन से 9700 रूपये फोन पे से अन्य खाते मे ट्रान्सफर कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

इसके अतिरिक्त उन्ही अज्ञात अभियुक्तो द्वारा पास में खडे एक अन्य व्यक्ति दीपक से मारपीट करते हुए 2800 रूपये नगद व अपाचे बाईक जबरदस्ती छीन ली गयी तथा उक्त अपाचे मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोडकर फरार हो गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर मु0अ0स0 754/2026 धारा 309(4)/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया गया तथा दिनांक 21.09.2026 को अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.फिरोज अली पुत्र फरियाद अली निवासी मछली मण्डी कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर 2. अमजद खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम चाहडवाला थाना मण्डावर जिला बिजनौर 3. मुबारिक पुत्र शहजाद मलिक निवासी मोडी मोडा थाना वोडिया जमुनानगर (हरियाणा) को छीनी गयी एक मोटरसाइकिल प्लेटिना व 1510/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एव दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त सावन पुत्र बाकिर निवासी चाहडवाला थाना मण्डावर जिला बिजनौर का नाम प्रकाश में आया है।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सावन पुत्र बाकिर निवासी चाहडवाला थाना मण्डावर जिला बिजनौर को 510/-रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सावन पुत्र बाकिर निवासी चाहडवाला थाना मण्डावर जिला बिजनौर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 106/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 64/2024 धारा 323, 498-A, 504 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम थाना रामराज जनपद मु0नगर

3.मु0अ0स0 754/2026 धारा 310(2)/3(5)/317(3)/ 115(2)/351(2) बी.एन.एस. थाना को0 शहर बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

कुल 510/- रुपये की नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुन्दरलाल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

2. का0 3112 निखिल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

3. का0 1052 अर्जुन सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना को0शहर **दिनांक 24.09.2026**

थाना को0शहर पुलिस द्वारा ठगी की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तो को लिये गये माल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.09.2026 को वादी सुभाष कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राम कुमार वर्मा निवासी नगर पालिका अपोजिट टाऊन हॉल थाना शहर कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दो अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी को बहला फुसलाकर धोखाधडी से एक सोने की अंगूठी ले ली गयी है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर मु0अ0स0 761/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया गया तथा अज्ञात अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. विनोद कुमार शर्मा पुत्र सम्पूर्णानंद शर्मा निवासी मौ० गोजानी थाना रामनगर जनपद नैनीताल 2.कालीचरण पुत्र स्व० रामचंद्र निवासी ग्राम दोहरिया थाना नवाबगंज जनपद बरेली को एक पीली धातु की अंगूठी व घटना में प्रयुक्त एक प्लसर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.विनोद कुमार शर्मा पुत्र सम्पूर्णानंद शर्मा निवासी मौ० गोजानी थाना रामनगर जनपद नैनीताल

2.कालीचरण पुत्र स्व० रामचंद्र निवासी ग्राम दोहरिया थाना नवाबगंज जनपद बरेली

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अगुठी पीली धातु

2. एक बाईक पल्सर रंग काला चैसिस नम्बर MD2B54DX1RCK07849 (बिना नम्बर प्लेट)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा -

1. मु0अ0स0 929/2017 धारा 170, 171, 406, 411, 419, 420 भादवि थाना बहेडी जनपद बरेली

2. मु0अ0स0 370/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना सुभाषनगर जनपद बरेली

3. मु0अ0स0 745/2017 धारा 406/420 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 613/2021 धारा 379, 411, 420 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर
5. मु0अ0स0 258/2017 धारा 311 भादवि थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद
6. मु0अ0स0 1379/2017 धारा 419, 420 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद
7. मु0अ0स0 384/2019 धारा 406, 419, 420 भादवि थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद
8. मु0अ0स0 134/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद
9. मु0अ0स0 632/2017 धारा 419, 420 भादवि थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत
10. मु0अ0स0 320/2023 धारा 379, 411, 414, 420 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर
11. मु0अ0स0 339/2023 धारा 379, 411, 420 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर
12. मु0अ0स0 374/2023 धारा 379, 411, 420 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर
13. मु0अ0स0 744/2017 धारा 171, 406, 420 भादवि थाना बहजोई जनपद सम्भल
14. मु0अ0स0 406/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर
15. मु0अ0स0 761/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कालीचरण -

1. मु0अ0स0 613/2021 धारा 379/411/420 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर
2. मु0अ0स0 761/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 शेखर चौधरी थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 367 योगेश कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 572 शुभम चौधरी थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 2972 अनुज थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
5. रि0का0 2174 हेमन्त थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना कोतवाली शहर **दिनांक 24.09.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत हीलर्स हॉस्पिटल से काली माता मंदिर रोड पर दो अज्ञात वाहनों के मध्य फायरिंग की घटना हुई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कनखेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. अंकित सिंह पुत्र नरेश कुमार निवासी सदरुद्दीन नगर फलौडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर तथा 10-15 अज्ञात द्वारा जान से मारने की नियत से एक दूसरे पर फायर कर आम जनता में भय व दहशत का माहौल पैदा होने के सम्बन्ध मे दिनांक 19.09.2026 को वादी उ0नि0 श्री शेखर कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट पंजीकृत किया गया जिसमें दिनांक 21.09.2026 को अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी कनखेड़ी थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.हिमांशु पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम स्योहारा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियोग उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्तगण 1.आशुतोष उर्फ छोटु पुत्र रामलाल सिंह निवासी मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2. अमजद पुत्र इदरीस निवासी किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये है।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.आशुतोष उर्फ छोटु पुत्र रामलाल सिंह निवासी मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2. अमजद पुत्र इदरीस निवासी किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.आशुतोष उर्फ छोटु पुत्र रामलाल सिंह निवासी मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2. अमजद पुत्र इदरीस निवासी किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त आशुतोष ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 16.09.2026 को वह अपने साथियो के साथ एल्टो कार में जा रहा था। पीछे स्कॉर्पियो तथा उसके पीछे ईको स्पोर्ट गाड़ी चल रही थी। ईको स्पोर्ट सवार व्यक्तियों द्वारा स्कॉर्पियो सवार लोगों पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में उसके साथियो द्वारा भी फायरिंग की गयी थी।

अभियुक्त अमजद ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 16.09.2026 को वह अपने साथियो के साथ स्कॉर्पियो में जा रहा था। काली माता मंदिर के पास एक सफेद रंग की ईको स्पोर्ट गाड़ी में सवार व्यक्तियों द्वारा उनकी गाड़ी पर

फायरिंग की गई, जिसके जवाब में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने भी तमंचों से फायरिंग की। अभियुक्त ने बरामद तमंचे को घटना के समय अपने पास होना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर(अभियुक्त अमजद से बरामद)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशुतोष उर्फ छोटु (हिस्ट्रीशीट-172ए थाना नूरपुर)-

1. मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट व 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0 शहर बिजनौर
2. मु0अ0स0 296/2026 धारा 115(2), 126(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. थाना चांदपुर बिजनौर
3. मु0अ0स0 249/2026 धारा 109(1), 115(2), 126(2) बी.एन.एस. थाना नहटौर बिजनौर
4. मु0अ0स0 481/2018 धारा 323, 324 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
5. मु0अ0स0 505/2019 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नूरपुर बिजनौर
6. मु0अ0स0 06/2020 धारा 147, 148, 427, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
7. मु0अ0स0 133/2020 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नूरपुर बिजनौर
8. मु0अ0स0 305/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नूरपुर बिजनौर
9. मु0अ0स0 363/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर बिजनौर
10. मु0अ0स0 328/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
11. मु0अ0स0 422/2022 धारा 147, 307, 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
12. मु0अ0स0 528/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
13. मु0अ0स0 409/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
14. मु0अ0स0 14/2024 धारा 147, 148, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
15. मु0अ0स0 197/2024 धारा 336, 452, 504, 506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
16. मु0अ0स0 449/2024 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना नूरपुर बिजनौर
17. मु0अ0स0 281/2025 धारा 115(2), 125, 352 बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर
18. मु0अ0स0 169/2026 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नूरपुर बिजनौर
19. मु0अ0स0 183/2026 धारा 115(2), 333, 351(3), 352 बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर
20. मु0अ0स0 238/2026 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमजद-

मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट व 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0 शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1491 संदीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 2070 रजत कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 1276 राहुल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. हे0का0 89 पुष्पेन्द्र (चालक) थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर **दिनांक 24.09.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 482/26 धारा 105/115(2)/352/351(2) BNS से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.08.2026 को आवेदक श्री हरिराज सैनी पुत्र स्वः राम किशोर नि० ग्राम शेखपुरी चौहड थाना चांदपुर जिला बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण 1. ब्रहमपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री धर्मवीर सिंह, 2. सविता देवी पत्नी ब्रहमपाल सिंह, 3. भूपेन्द्र सिंह उर्फ चीनू पुत्र ब्रहमपाल सिंह निवासी गण ग्राम शेखपुरी चौहड थाना चांदपुर जिला बिजनौर व 4. हरिश्चन्द्र पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम नीला खेडी थाना धनौरा जिला अमरोहा द्वारा खेत के रास्ते व चारों ओर विद्युत तारबंदी किए जाने से करंट की चपेट में आकर वादी के पिता राम किशोर की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में वादी व उसके भाई देवेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्तगण से बात करने पर उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त संबंध में थाना चांदपुर पर **मु0अ0सं0 482/2026 धारा 106(1)/352/115(2)/351(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन एवं गवाहों के बयानों के आधार पर **धारा 105 बीएनएस की वृद्धि तथा धारा 106(1) बीएनएस का लोप** किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 24.09.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त ब्रहमपाल सिह पुत्र धर्मवीर सिह नि0 ग्राम शेखपुरी चौहड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना से संबंधित तार सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण –

ब्रहमपाल सिह पुत्र धर्मवीर सिह निवासी ग्राम शेखपुरी चौहड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली थाना चांदपुर पुलिस टीम

1. उ0नि0 हिमांशू पवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2723 मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर दिनांक 24.09.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 570/26 धारा 191(2)/190/121(1)/132/127(2)/115(2)/109(1) BNS 7 सीएल एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2026 को आवेदक श्री सुदीप कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता, निवासी ग्राम पिपली थाना पिपली जनपद सोनभद्र, हाल निवासी 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बागडपुर द्वारा थाना चांदपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र में अभियुक्त संजीव पुत्र नामालूम निवासी नामालूम द्वारा अन्य अभियुक्तगण सुधांशु, अंकित, मोहित, नवनीत (ग्राम प्रधान), संजीव का पुत्र नामालूम तथा करीब 20-30 अज्ञात व्यक्तियों को बुलाकर वादी एवं उसकी टीम के साथ गाली गलौच करत हुए मारपीट करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा धमकी देने का आरोप लगाया गया। साथ ही अभियुक्त अंकित द्वारा पूर्व में भी फोन पर धमकी देने का उल्लेख किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 570/2026 धारा 191(2)/190/121(1)/132/127(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त मयंक पुत्र संजीव निवासी ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को दिनांक 20.09.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

कार्यवाही-

आज दिनांक 24.09.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश से संबंधित अभियुक्त संजीव पुत्र कल्याण सिह निवलासी ग्राम बागडपुर थाना चादपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विरण –

संजीव पुत्र कल्याण सिह निवलासी ग्राम बागडपुर थाना चादपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 570/2026 धारा 191(2)/190/121(1)/132/127(2)/351(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स052/25धारा 120-B/420/ 467/ 468/ 471 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली थाना चांदपुर पुलिस टीम

1. उ0नि0 बबलू सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2500 विशाल कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक- 24.09.2026**

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 221/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तगण को चोरी किये गये आभुषणों सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

दिनाँक 23.09.2026 को थाना अफजलगढ़ पर वादी श्री कर्मवीर सिंह पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी दुकान से अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा ज्वैलरी चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं 221/ 2026 धारा303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 24.09.2026 को थाना अफजलगढ पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आर्टीफिशल ज्वैलरी को बेचने जा रहे 03 अभियुक्तगण 1. विशेष कुमार पुत्र नरपाल सिंह 2. प्रमोद उर्फ सोनू पुत्र महिपाल 3. मनीष उर्फ मोन्टी पुत्र दिलीप निवासीगण ग्राम लेदरपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को चोरी की गयी 02 डिब्बी आर्टीफिशल ज्वैलरी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.प्रमोद पुत्र श्री महिपाल सिंह निवासी लेदरपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
2.मनीष सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह निवासी लेदरपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
3.विशेष कुमार पुत्र श्री नरपाल सिंह निवासी लेदरपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

02 डिब्बी आर्टिफिशल ज्वैलरी रंग पीला कीमत करीब 20 हजार रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री कमल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2.का0 716 देवकरण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3.का0 254 विजय राणा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4.का0 2507 वीरेन्द्र सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।
5.का0 2776 अनुज थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।